SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, my second supplementary is this. Investments in mutual funds by CPSUs have been banned till January, 2010. Does the Government plan to open it to the wisdom of the CPSUs, that they can invest in mutual funds after 2010? If that is so, then, planning for it has to be done now by the CPSUs, as we are nearing January, 2010.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, this is not related to the main question.

SHRI D. RAJA: Sir, the banks form the central net system of modern economy today. If that is so, our banks need to be streamlined. Now, the answer is very clear about bulk deposits and retail deposits. The bulk deposits and the corporate houses, which have the Instrument of Certificate of Deposits, are getting 10 to 12 per cent interest rate now, whereas on savings accounts, their interest rate now, I am told, is 3.5 per cent. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any strategy to encourage ordinary people to go in for net savings. If that is so, is the Government thinking of increasing the interest rate on savings accounts from 3.5 per cent to, at least, 5 per cent, which was there earlier?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Surely, I am not going to discuss the interest policy or the monetary policy in the House. It is a major policy matter, and this is being done by the Reserve Bank of India. Determining the interest rate is not in the domain of the Government of India. The senior Members would know it. It is in the domain of the Reserve Bank, which they do so, from time to time, keeping in view the overall requirements. We always encourage people for thrift, and various schemes are being introduced. But there must be a balance between the interest at which the banks will pay to the depositors and the interest which they will charge from the lender. Keeping that in view this balance is to be struck. Let us not enter into that area; let us leave it to the experts. The Reserve Bank is the competent body to deal with it. Let them do it. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, I asked...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Raja, that question is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: One second, Sir. The answer says, 'the public sector banks were advised.' If that is so, why can't the Government advise the public sector banks? That is the simple question I asked.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The public sector banks are advised by us and also by the RBI. ...*(Interruptions)*...

गैस सिलेंडरों का अवैध व्यापार

†*166. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में गैस में सिलेंडरों में कम गैस भर कर आपूर्ति करने तथा छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का अवैध व्यापार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) हालांकि अंशतः इस्तेमाल शुदा सिलिंडरों/कम वजनी सिलिंडरों/एलपीजी सिलिंडरों से उत्पाद चोरी करके आपूर्ति करने की घटनाएं होती रही हैं, किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा छोटे सिलिंडरों में गैस भरने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण जांच की जाती हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम तथा सुपुर्दगी वाहन में उपलब्ध भरे हुए सिलिंडरों के वजन की जांच करना शामिल है ताकि चोरी/कम वजनी सिलिंडरों की उपस्थिति रोकी जा सके। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे सिलिंडरों को तोल कर ग्राहकों को सही वजन के संबंध में संतुष्ट करें तथा सीलों की जांच कराएं और सुपुर्दगी के समय ग्राहकों को दिखाएं। यदि ग्राहक द्वारा कम वजन का कोई सिलिंडर प्राप्त किया जाता है तो ओएमसीज द्वारा ऐसे सिलिंडर निःशुल्क बदले जाते हैं।

उद्योग एक ऐसे यंत्र पर काम कर रहा है जो एलपीजी सिलिंडर में लगाया जाएगा ताकि सिलिंडर से एलपीजी की चोरी रोकी जा सके। उद्योग ने नवंबर, 2009 में चोरी रोधी यंत्र विकसित करने के लिए रूचि की वैश्विक अभिव्यक्ति आमंत्रित की हैं।

जब कभी ओएमसीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं, इनकी जांच की जाती है और यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो एमडीजी प्रावधानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एमडीजी में डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- पहले अपराध पर 20,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- दूसरे अपराध पर 50,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा कम वजनी सिलिंडरों की आपूर्ति/उत्पाद की चोरी की शिकायतें प्रमाणित होने के आधार पर 163 मामलों में कार्रवाई की गई है जिनमें विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार विगत तीन वर्षों और अप्रैल-सितंबर, 2009 के दौरान, देश में चार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की समाप्ति किया जाना शामिल है।

ओएमसीज द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अतिरिक्त, राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। इसी प्रकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माप-तौल विभाग कम वजनी एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं।

Illegal trade of gas cylinders

†*166. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the illegal trade of supplying underfilled gas cylinders and the filling of gas in small cylinders is being run in the country;

(b) if so, whether any effective steps are being taken by Government to check it; and

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MURLI DEORA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) While there have been instances of supply of partially used cylinders/under-weight cylinders/pilfering product from LPG cylinders, no case of filling gas in small cylinders by the LPG distributors of Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) has been reported.

Surprise Quality Control Checks which includes weighment of cylinders are carried out at the distributors godown as well as enroute weight checking of filled cylinders available in delivery vehicle is being done by the field officers to check pilferage/presence of any underweight cylinders. The distributors have also been instructed to satisfy the customers about correct weight of cylinder by weighing them, to ensure that the seals are verified and shown to the customers at the time of delivery. In case any under-weight cylinder is received by the customer, such cylinders are replaced free of charge by the OMCs.

Industry is working on a device which will be fitted to an LPG cylinder to prevent pilferage of LPG from the cylinder. Industry has invited Global Expression of Interest for development of Anti Pilferage Device in November, 2009.

Whenever OMCs receive complaints, these are investigated and if the complaint is established, suitable action is taken against the LPG distributor(s) in accordance with the provisions of the Marketing Discipline Guidelines (MDG). MDG provides for following action against the distributor:-

- Fine of Rs. 20,000 plus the price of LPG diverted at commercial rates for 1st offence.
- Fine of Rs. 50,000 plus the price of LPG diverted at commercial rates for 2nd offence.
- Termination of the distributorship for 3rd offence.

OMCs have reported that based on the established complaints of supply of underweight cylinders/pilfering product by LPG distributors, action as been taken in 163 cases including termination of four LPG distributors in the country during the last three years and April – September 2009 as per provisions of MDG/Distributorship Agreement.

In addition to the action taken by the OMCs, State Governments are empowered under the LPG (Regulation of Supply & Distribution) Order, 2000 promulgated under the Essential Commodities Act, 1955 to take action against black-marketing of domestic LPG. Similarly, the Weights and Measures Departments of the States/UTs initiate legal action against those LPG distributors found supplying underweight LPG cylinders.

श्री जनेश्वर मिश्र : महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसका पहला पैराग्राफ है- "हालांकि अंशतः इस्तेमाल" और आखिर में "किन्तु" सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के एल0पी0जी0 डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा छोटे सिलिंडरों में गैस भरने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।"

सभापति महोदय, सरकार को निर्देश दे दीजिए कि ये लोग "इफ" एंड "**बट**" में नहीं बोला करें, क्योंकि यह जवाब देने का तरीका ठीक नहीं है, यह मेरा एतराज है। केवल ओ0एन0जी0सी0 को बचाने के लिए यह जवाब बनाया गया है। क्या सरकार को यह मालूम है कि ओ0एन0जी0सी0 में इस तरह के कितने केसेज में कार्यवाही की है? हमने इनके जवाब में अंकित उस लाईन को भी पढ़ा है जिसमें लिखा है कि- "ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि एल0पी0जी0 डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा कम वजनी सिलिंडरों की आपूर्ति/उत्पाद की चोरी की शिकायतें प्रमाणित होने के आधार पर 163 मामलों में कार्रवाई की गई है।" सर, देश बहुत बड़ा है, गड़बड़ी के 163 मामले तो हम जानते हैं जो अकेले इलाहाबाद जिले में होंगे। इसलिए ऐसा असत्य जवाब दिया जाए, यह ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी हम लोगों पर रहम करें और इस सदन पर भी रहम करें।

श्री मुरली देवरा : सर, मैं माननीय सदस्य का बहुत-बहुत आभारी हूं कि आज आपने यह सवाल उठाया और इसमें आपको कुछ बताने की नौबत नहीं रही। तीन पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स तेल के काम में हैं, आई0ओ0सी0, एच0पी0सी0एल0 और बी0पी0सी0एल0। ये तीन कम्पनियां प्रति माह 11 करोड़ सिलेंडर डिस्ट्रिब्यूट करती हैं और वापिस लेती हैं। इसके अलावा हम 2015 में नया टारगेट बना रहे हैं, जिसमें कि 16 करोड़ सिलेंडर लेंगे और बांटेंगे। यह बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। यह बात सही है कि कहीं-कहीं चोरी होती है और तौलने में कमी होती है। इसके लिए काफी नए उपाय भी किए गए हैं। आपने सही कहा है कि 163 केसेज ऐसे आए जिनको पकड़ा गया है। इस संबंध में एक नया प्रोग्राम किया है -Marketing discipline guidelines इसके अन्तर्गत यदि पहली बार गलती की तो Rs.20,000 plus price of the LPG diverted, उसके ऊपर लगते हैं, दूसरी बार गलती की तो पचार हजार रुपए फाइन हो जाएगा और अगर तीसरी बार की तो termination of the distributorship on the third offence. हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ खास सुझाव हों तो मेहरबानी करके दीजिए, हम उनको लाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं इनकी काबलियत की तारीफ करुंगा, क्योंकि हमने एक दिन अखबार में पढ़ा है और मेरा ख्याल है कि मंत्री जी और मंत्रालय के लोगों ने भी पढ़ा होगा कि शास्त्री भवन की छत पर जो पैट्रोलियम गैस खाली थी, उसमें घट तौली, कम तौल करके गैस भरी जा रही थी। शास्त्री भवन में पैट्रोलियम मिनिस्ट्री चलती है। जब लोकल पुलिस को मालूम पड़ा तो उसने जाकर के छापा मारा और उन लोगों को गिरफ्तार किया। तो यह कितनी काबलियत है, यह तो मुझे मालूम है।

श्री मुरली देवरा : सर, मैं तो अभी आया हूं, आप खुद थे उधर। आपको मालूम होगा कि कहां छापा मारा और क्या किया।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर : महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि गुजरात सरकार को आप जो रॉयल्टी दे रहे हैं, वह wellhead price के आधार पर दे रहे हैं। अप्रैल, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक गुजरात सरकार को आपने जो रॉयल्टी दी है, उसमें गुजरात सरकार को 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो इस पैसे की भरपाई ओ.एन.जी.सी. कब कर रही है और इसके नहीं देने के क्या कारण हैं?

श्री मुरली देवरा : सर, इस प्रश्न का original question से कोई संबंध नहीं है।

श्री मोहम्मद अली खान : चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार आम आदमी की जो बात करती है, क्या यह सही है कि जो सप्लाई कंज्यूमर को दी जाती है, उसमें रिफिलिंग के लिए 20 दिनों का जो वक्फा रखा गया है, उससे देश के अंदर जिन घरों में बड़ी फैमिली है, उनको दुश्वारी होती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अगर यह सही है तो आपने जो चेक कंट्रोल रखा है, क्या उससे रिफिलिंग के लिए यह जो 20 दिनों की समय-सीमा है, उसको कम करके सप्लाई को रेगुलर कराने की कोशिश करेंगे?

जनाब मोहम्मद अली खान: چیئرمین صاحب، میں آپ کے ذریعے منتری جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار عام آدمی کی جو بات کرتی ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ جو سپلائی کنزیومر کو دی جاتی ہے، اس میں ریفلنگ کے لئے 20 دنوں کا جو وقفہ رکھا گیا ہے، اس سے دیش کے اندر جن گھروں میں بڑی فیملی ہے، ان کو دشواری ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صحیح ہے تو آپ نے جو چیک کنٹرول رکھا ہے، کیا اس سے ریفلنگ کے لئے یہ جو 20 دنوں کی سمے-سیما ہے، اس کو کم کرکے سپلائی کو ریگولر کرانے کی کوشش کریں گے؟

श्री जितिन प्रसाद : जहाँ तक माननीय सांसद जी का प्रश्न है कि जो एलपीजी कनैक्शंस हैं, पहली बार जो एलपीजी कनैक्शन के लिए आवेदन करता है, उसे हम 60 दिनों के अंदर एलपीजी कनैक्शन उपलब्ध कराते हैं। एक बार जब उसको एलपीजी कनैक्शन मिल जाता है तो उसे 21 दिनों का समय दिया जाता है कि वह 21 दिनों में एक सिलेंडर का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद ही उसे दूसरा सिलेंडर मिल पायेगा। यह प्रति हाउसहोल्ड पर लागू है। जहाँ एक रसोई घर है, वह एक हाउसहोल्ड माना जाएगा। अगर किसी घर में चार-चार परिवार हैं और वहाँ चार-चार किचेन हैं तो उन्हें चार सिलेंडर उपलब्ध करा दिये जाएँगे। यह मानक इसलिए बनाया गया है कि हम लोगों ने और मार्केटिंग कंपनीज़ ने यह देखा है कि अगर सिलेंडर किसी को दिया गया और उससे रोज़ खाना बनेगा तो वह कम से कम 21 दिन चलेगा। अगर वह 21 दिनों से पहले खत्म हो रहा है तो या तो वह किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है और आम तौर पर उसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए नहीं हो रहा है।

श्री ईश्वर सिंह : चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गैस एजेंसीज़ खोलने का विचार है? जो बड़े गांव हैं, अगर उनके अंदर ये खोले जाएंगे तो इसके लिए सरकार क्या criteria fix करने जा रही है?

श्री जितिन प्रसाद : जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, मैं माननीय सांसद जी को और इस सदन को यह बतलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक नयी योजना "राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना" के नाम से शुरू की है। इसमें प्राथमिकता पर वे प्रदेश लिये गए हैं, जहाँ 50 प्रतिशत से भी कम एलपीजी कनैक्शंस हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, देश के गांव-गांव तक एलपीजी कनैक्शन पहुंचाने का है, क्योंकि अभी तक इस देश का ग्रामीण क्षेत्र उस सुविधा से वंचित था और वहाँ के लोग खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, गोबर से तैयार के गये कंडों और फायरवुड का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए सरकार की यही मंशा है कि गांव-गांव तक लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, मगर इसकी सुविधा नहीं दी गई है। इसी के तहत यह ग्रामीण योजना लायी गयी है जिसमें प्रत्येक गांव में मिनिमम 600 कनैक्शंस पर एक एजेंसी नियुक्त की जायेगी और उस एजेंसी के लिए जो मानक हमने तैयार किये हैं, उनमें भी हमने रिलैक्स किया है कि गोदाम छोटा होगा, initial investment कम होगा। इसमें गैस की जो डिलीवरी होगी, वह घर तक नहीं होगी, बल्कि वह कैश एंड कैरी के आधार पर होगी, जिसमें गांव वाले अपने एजेंसी में आकर उसे खुद उठा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में दूर-दूर तक यह बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा कि इसे घर-घर तक पहुंचाया जाये। इसके साथ ही, मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि यह योजना लांच हो गयी है और अब जल्द ही आपके प्रदेश, आपके गांव और आपके हलके में एलपीजी सिलेंडर पहुंचेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[ ]Transliteration in Urdu Script.